राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक :– प.(42)मुसप्र/स्टाम्प ड्यूटी में छूट/2013/1606 दिनांक :– 19/3/13

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (कर अनुभाग) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.12.2012 के क्रम में मण्डल के परिपत्र क्रमांक 1202 दिनांक 24.01.2013, क्रमांक 1324 दिनांक 15.02.2013 एवं क्रमांक 1435 दिनांक 27.02.2013 द्वारा आवासन मण्डल द्वारा मण्डल स्तर पर आवंटित/विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के लीजडीड जारी करने से पूर्व किए गए प्रत्येक मध्यवर्ती अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित हस्तान्तरण पर देय बाजार दर के स्थान पर मूल आवंटन राशि पर पंजीयन करने के संबंध में दिनांक 31.12.2012 तक निष्पादित अपंजीकृत विलेखों के आधार पर अन्तिम हस्तान्तरिती द्वारा आवास के विलेखों का पंजीयन दिनांक 31.03.2013 तक करवाने पर आवास अन्तिम हस्तान्तरिती के पक्ष में नियमन के निर्देश प्रदान किये गये थे।

उक्त आदेशों के संदर्भ में संबंधित स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों को निर्देशित किया ज़ाता है कि उक्त अवधि में आवासों का निरस्तीकरण/नियमन संबंधित आवासीय अभियन्ता के स्तर से ही किया जा सकेगा, जिसमें उप आवासन आयुक्त के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

19/3/13

(डॉ0 आर. वेंकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव– आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव/निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पीएण्डएम/वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–......................., राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–......................., राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
7. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा0आ0मं0, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी को मेल करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

Desktop-1 Hemendra Singh Jaisa